ऑन लाईन नं.GCMS2023/215

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 66/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1 श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री करणी सिंह —विक्रेता—
मै0 अन्नपूर्ण मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी नजदीक एस.बी.आई. बैंक तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2 रणवीर सिंह राठौड़ पुत्र श्री करणी सिंह —(मालिक)—
मैसर्सः— अन्नपूर्ण मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी नजदीक एस.बी.आई. बैंक तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 17.05.2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.04.2023 को समय दोपहर बाद 4.15 बजे **मै.** अन्नपूर्ण मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी नजदीक एस.बी.आई. बैंक तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर विक्रेता व मालिक **श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री करणी सिंह** को अपना परिचय देकर संस्थान में स्टील ट्रे के अंदर रखे खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का विक्रेता होना बताया तथा संस्थान में स्टील ट्रे के अन्दर रखे तैयार 04 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री करणी सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री करणी सिंह** को देकर असल पर रसीद

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/215

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** 2 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** का नगद भुगतान 600/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1766** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1766** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री करणी सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S.544/Act/2023/554 Dated 25-04-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1766 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री करणी सिंह** मैसर्स अन्नपूर्ण मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी नजदीक एस.बी.आई. बैंक तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर के **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/215

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:–

1. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 1 व 2 के तथ्य जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है।
2. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 3 के वाक्यात स्वीकार है।
3. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 4 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फार्म संख्या 5ए आवेदक एफएसओ द्वारा भरा गया था जिस पर मिन जवाबदाता सहित गवाहान एवं आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा सलंग्न परिवाद पेश किया गया है।
4. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। विक्रेता अपनी दुकान का मुद्रित बिल जारी करता है न कि विभाग बिल जारी करता है। प्रस्तुत केश मीमों विभाग द्वारा बनाकर उसमें स्वयं इन्द्राज किया गया है जो कि मिन जवाबदाता की फर्म का नही है, जिससे भी यह साबित होता है कि उक्त वाद मिन जवाबदाता से लिये गये सैम्पल के विरूद्व नहीं है। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सव्यय निरस्तणीय है।
5. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 6 के कथन आंशिक रूप स्वीकार है। आवेदक एफएसओ कंवरपाल सिंह द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना संख्या के–1766 मिन जवाबदाता के परिसर में बफी मिठाई दूध चीनी से निर्मित जो कि दूध चीनी से निर्मित था लिया गया। आवेदक द्वारा उक्त मद के नमूना लेते समय उसे एकरूपता प्रदान करने व किस आधान/बर्तन नमूना लिया गया के तथ्य अंकित नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक एफएसओ द्वारा उक्त नमूनीकरण का कार्य एफएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है इस आधार पर भी उक्त वाद निरस्तणीय है।
6. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 7 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फर्द रिपोर्ट आवेदक एफएसओ द्वारा भरा गया था जिस पर मिन जवाबदाता सहित गवाहान एवं आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा सलंग्न परिवाद पेश किया गया है।
7. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 8 के कथन जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) द्वारा नमूना संख्या के–1766 मिन जवाबदाता से लिया गया था जिसे अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकोनर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जबकि उक्त नमूना के भाग को तीन रोज उपरान्त बीकानेर में दिनांक 13.04.2023 गुरूवार को जमा करवाया गया था जिसकी रसीद सलंग्न परिवाद पेश है जबकि एफएसएसए के नियमानुसार तुरन्त अगले दिवस उक्त नमूने के भाग को जन विश्लेषक के पास जमा करवाया जाना चाहिए था। एफएसओ ने तीन दिन तक उक्त नमूना अपने कब्जे में रखा जो कि विधि विरूद्व है। उक्त तथ्य निराधर व झूठे व गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है।
8. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 9 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
9. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 10 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

10. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 11 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
11. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 12 निराधार होने के कारण अस्वीकार है। मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उलंधन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्व तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश कियागया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण संव्यय निरस्तणीय है। अप्रार्थी एफबीओएफएसए की धारा 31 की उपधारा 2 की श्रेणी का कारोबारकर्ता है जिसकी शास्ति धारा 51 के तहत अधिरोपित नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त कथन :–

1. यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तणीय है।
2. यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एवं नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एक रूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था, जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) द्वारा नमूना संख्या के–1766 लेते समय एफएसएसए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त FAC 207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।
3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ व जन विश्लेषक को गवाही के उद्वेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
4. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर के आदेश दिनॉक 19.02.2015 FAC 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है।
5. यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जॉच विधिनुसार नहीं की गई है। उक्त नमूना किसी भी प्रकार से अमानक नहीं माना जा सकता है। उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 3 का उल्लंधन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्व तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खादय नमूना संख्या के–1766 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खादय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि आवेदक एफएसओ कंवरपाल सिंह द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना संख्या के–1766 मिन जवाबदाता के परिसर में बर्फी मिठाई दूध चीनी से निर्मित जो कि दूध चीनी से निर्मित था लिया गया। आवेदक द्वारा उक्त मद के नमूना लेते समय उसे एकरूपता प्रदान करने व किस आधान/बर्तन नमूना लिया गया के तथ्य अंकित नहीं किये गये है। न्याय दृष्टान्त FAC 207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) द्वारा नमूना संख्या के–1766 मिन जवाबदाता से लिया गया था जिसे अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जबकि उक्त नमूना के भाग को तीन रोज उपरान्त बीकानेर में दिनांक 13.04.2023 गुरूवार को जमा करवाया गया था जिसकी रसीद सलंग्न परिवाद पेश है जबकि एफएसएसए के नियमानुसार तुरन्त अगले दिवस उक्त नमूने के भाग को जन विश्लेषक के पास जमा करवाया जाना चाहिए था। एफएसओ ने तीन दिन तक उक्त नमूना अपने कब्जे मे रखा जो कि विधि विरूद्व है।खादय नमूना संख्या के–1766 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नही की गई है जाँच रिपोर्ट के अनुसार खादय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नही है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित मे निरस्त किये जाने योग्य है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस मे बताया कि अभियुक्त से लिया गया बर्फी मिठाई दूध चीनी का सैम्पल **K-1766** जांच रिपोर्ट क्रमांक :– L.S.285/Act/2023/285 Dated 22-03-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि बर्फी मिठाई दूध चीनी से निर्मित जो कि दूध चीनी से निर्मित था लिया गया। आवेदक द्वारा उक्त मद के नमूना लेते समय उसे एकरूपता प्रदान करने व किस आधान/बर्तन नमूना लिया गया के तथ्य अंकित नही किये गये है। न्याय दृष्टान्त FAC 207, 2014(1) मे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदश मे एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है। कथन सही नहीं है क्योकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो परिवाद पेश किया गया है उसमे स्पष्ट अंकित किया गया है कि खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** को एकरूप कर बराबर भागो मे बाटकर चार बोतलों मे भरकर लिया। प्रत्येक बोतल मे फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारो बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1766** दर्ज किया एव प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एव खाद्य कारोबारकर्ता एव मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर किये। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) द्वारा नमूना संख्या के–1766 मिन जवाबदाता से लिया गया था जिसे अगले कार्य दिवस मे खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जबकि उक्त नमूना के भाग को तीन रोज उपरान्त बीकानेर मे दिनांक 13.04.2023 गुरूवार को जमा करवाया गया था। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नही है क्योकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने परिवाद मे स्पष्ट अंकित किया है कि फार्म न 06 की छ

अति. जि[illegible] प्रशासन
श्रीगंगानगर [illegible]

प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। अतः अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत भारी जुर्माना लगया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं Food Analyst की रिपोर्ट दिनांक 25.04.2023 का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। अभियुक्त पृथ्वी सिंह पुत्र करणी सिंह, विक्रेता –पर (Sub-standard Food) के तहत बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर धारा 26(2)(ii)/51 के तहत 1,10,000/–रूपये (अखरे रूपये एक लाख दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में बर्फी मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।
निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)